ग्राम पंचायतों के उद्देश्य
(Aims of Panchayati Raj)

ग्राम पंचायतों का उद्देश्य ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करना है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, वे इस प्रकार हैं—

(1) **प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण**—भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना है। भारत जैसे विशाल देश में शासन करना तभी सम्भव है, जब स्थानीय शासन व्यवस्था को छोटी-छोटी इकाइयों में संगठित किया जाए। ग्राम पंचायतें इसी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं।

(2) **स्वस्थ जनमत का निर्माण**—भारत में अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में स्वस्थ जनमत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायतें स्वस्थ जनमत का निर्माण करके सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से गठित की गई हैं।

(3) **जन सहभागिता**—जन सहभागिता का सामाजिक समस्याओं के समाधान और पुनर्निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को स्वयं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से सुलझाना है।

(4) **नागरिकता की शिक्षा**—प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में नागरिकता का ज्ञान अनिवार्य है। ग्राम पंचायतें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों, नैतिकता, अनुशासन आदि की शिक्षा देती हैं। इस प्रकार नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना ग्राम पंचायतों का उद्देश्य है।

(5) **नेतृत्व का विकास**—प्रजातंत्र की सफलता के लिए नेतृत्व अनिवार्य दशा है। नेतृत्व के अभाव में प्रजातंत्र लंगड़ा हो जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य विकास कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं तथा पंचायतों के अन्य कार्यों में सक्रिय सहयोग देते हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायतें उचित नेतृत्व का विकास करती हैं।

(6) **ग्रामीण विकास**—भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण विकास द्वारा 'रामराज्य' की स्थापना करना है। कृषि और उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं। इन दोनों को विकसित करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों का महत्त्व या भूमिका
(Importance of Role of Panchayats in Rural Re-construction)

प्राचीन भारत की ग्राम पंचायतें भारतीय ग्रामीण जीवन की खुशहाली की प्रतीक थीं। इसलिए **गांधी जी** ने पंचायतों को *'रामराज्य'* का प्रतीक माना है। भारतीय ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण और पुनरुथान में ग्राम पंचायतों की भूमिका या महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है—

Scanned with CamScanner

A

• सामाजिक जीवन में पंचायतों का महत्त्व

सामाजिक जीवन में पंचायतों का निम्नलिखित महत्त्व है—

(1) **शिक्षा व्यवस्था**—अशिक्षा ग्रामीण प्रगति और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। पंचायतों का शिक्षा के संगठन और प्रसार में काफी योगदान रहा है। प्राथमिक, सामाजिक, प्रौढ़ और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पंचायतों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। स्कूलों को खोलना तथा उनकी देख-रेख का कार्य भी पंचायतें करती हैं।

(2) **सार्वजनिक बाजार**—ग्रामीण जीवन में जनता को उचित बाजार नहीं मिल पाता है। सेठ, साहूकार और दलाल, उनका मनमाना शोषण करते हैं। ग्राम पंचायतों ने बाजारों की व्यवस्था और नियन्त्रण को अपने हाथ में लेकर समस्या को दूर किया है।

(3) **मद्यनिषेध**—त्योहारों तथा उत्सवों में मद्य-वस्तुओं का सेवन भारतीय ग्रामीण जीवन की आम बात है। मद्यनिषेध के क्षेत्र में भी ग्राम पंचायतों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

(4) **समाज सुधार**—ग्रामीण जीवन में अनेक समस्याएं व्याप्त हैं। ग्राम पंचायतें इन समस्याओं के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। अस्पृश्यता, जातिवाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि समस्याओं के समाधान में ग्राम पंचायतें अनुकूल वातावरण का निर्माण करती हैं।

(5) **मातृत्व एवं बाल-कल्याण**—भारतीय जीवन अनेक अन्धविश्वासों का शिकार है। इस कारण अनेक माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। माताओं और शिशुओं के हितों की रक्षा राष्ट्रीय जीवन में महत्त्वपूर्ण है। इस दृष्टि से पंचायतों का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।

B

• जन-कल्याण में पंचायतों का महत्त्व

जन कल्याण के कार्यों में पंचायतों का निम्नलिखित महत्त्व है—

(1) **स्वास्थ्य की उन्नति**—ग्राम पंचायतें ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य को उन्नतिशील बनाने में सहायता करती हैं। वे ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य साधनों की जानकारी रखती हैं तथा स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं।

(2) **चिकित्सा व्यवस्था**—ग्राम पंचायतें बीमारियों के रोकथाम का भी प्रबन्ध करती हैं। पंचायतें ग्रामीण जीवन की संक्रामक बीमारियों का पता लगाती हैं तथा उन बीमारियों की रोकथाम, उपचार का प्रबन्ध करती हैं।

(3) **सफाई**—ग्रामीण जीवन में गन्दगी व्याप्त रहती है, जिससे अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। ग्राम पंचायतें गांवों की सफाई का प्रबन्ध करती हैं।

(4) **पेय जल की व्यवस्था**—गांवों में शुद्ध पीने के पानी का अभाव पाया जाता है। इससे पेट की अनेक बीमारियों की आशंका रहती है। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतें अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर सकती हैं।

(5) **यातायात व्यवस्था**—भारतीय ग्रामीण जीवन में यातायात एक बड़ी समस्या है। सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण, रोशनी, सफाई आदि के क्षेत्र में पंचायतें महत्त्वपूर्ण

Stop 11 April

Scanned with CamScanner

कार्य कर सकती हैं। साथ ही बसों, मिनी बसों का ग्रामीण रूटों पर चलाने का तथा रेलवे लाइन बिछवाने के लिए पंचायत विधायक, सांसद इत्यादि पर दबाव डाल सकती हैं।

(6) सांस्कृतिक उन्नति—सांस्कृतिक पिछड़ापन ग्रामीण जीवन की एक समस्या है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन को आधुनिक दृष्टि से उपयोगी बनाने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(7) सूचना एवं संचार व्यवस्था—ग्रामीण विकास में ग्रामवासियों को सही जानकारियां देने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण जीवन में सूचना एवं संचार के उन्नत साधनों को जुटाने में ग्राम पंचायतें महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। अनेक गांव में ज्ञान केन्द्र, इन्टरनेट सेवाओं से सुसज्जित सूचना केन्द्र खुल गए हैं जिससे कृषक एवं छोटे व्यावसायियों के काम की आवश्यक जानकारियां मिलती हैं।

(8) प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव—अकाल, बाढ़ आदि ग्राम जीवन के विकास के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। इस सन्दर्भ में ग्राम पंचायतें दोहरी भूमिका अदा कर सकती हैं, जैसे—अकाल और बाढ़ की स्थिति में ग्रामीण जनता की समुचित सहायता करके उसे राहत दिलाना आदि। साथ ही बांध, बनाना, वाटरशेड मैनेजमेंट, पनबिजली परियोजनाएं तथा रेनवाटर हार्विस्टिंग जैसी योजनाओं को अपने क्षेत्रों में कारगर बनाने में पंचायतों की भूमिका रही है।

(C) • ***आर्थिक जीवन में पंचायतों का महत्त्व***

आर्थिक क्षेत्र में पंचायतें निम्न कार्यों का सम्पादन कर सकती हैं—

(1) कृषि सुधार—भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी खेती के क्षेत्र में यह अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है। पंचायतों के द्वारा कृषि सुधार के कार्यों को प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है।

(2) सिंचाई व्यवस्था—कृषि सुधार में सिंचाई का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्राम पंचायतें कुएं, तालाब, नहर आदि का निर्माण करने और उनकी देखभाल के कार्य को सम्पादित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

(3) पशु-नस्ल सुधार—ग्रामीण आर्थिक विकास में पशुओं की खराब नस्ल सबसे बड़ी बाधा है। ग्राम पंचायतें पशुओं की नस्लों को सुधारने में, उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में तथा उनसे दूध आदि उत्पाद प्राप्त करने के लिए सहकारी योजनाएं क्रियान्वित कर सकती हैं।

(4) उत्तम बीज—भारतीय कृषि में प्रयुक्त किया जाने वाला बीज भी घटिया किस्म का होता है। ग्राम पंचायतें बीजों की किस्मों को सुधारने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(5) सहकारी समितियां—ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की अहम् भूमिका है। ग्राम पंचायतें सहकारी समितियों की सहायता से ग्रामीण पुनर्निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

Scanned with CamScanner

(6) **ग्रामोद्योग**—कुटीर उद्योग धन्धों का विकास ग्रामीण जीवन की प्रगति और विकास में महत्त्वपूर्ण है। इस दृष्टि से ग्राम पंचायतें कुटीर उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित कर उन्हें सूचना तथा विपणन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करके ग्रामीण विकास में योगदान दे सकती हैं।

(7) **वृक्षारोपण**—ग्रामीण आर्थिक जीवन में वृक्षों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से ग्राम पंचायतें वृक्षारोपण के कार्य को प्रोत्साहित कर वातावरण को स्वच्छ एवं संतुलित बनाये रख सकती हैं।

(8) **चारागाह**—चारागाह पशु जीवन के अंग हैं, उनके लिए चारागाहों की व्यवस्था अनिवार्य है। ग्राम पंचायतें चारागाह की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(9) **भूमिहीन श्रमिक**—ग्रामीण जीवन में भूमिहीन श्रमिक अधिक हैं तथा उनकी हालत चिन्ताजनक है। ग्राम पंचायतें इन श्रमिकों को भूमि तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(D) • ***राजनैतिक जीवन में पंचायतों का महत्त्व***

राजनैतिक जीवन में ग्राम पंचायतों का महत्त्व निम्नलिखित है—

(1) **ग्रामीण नेतृत्व का विकास**—ग्रामीण विकास में नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायतें चुनाव तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों की सहायता से ग्रामीण नेतृत्व के विकास में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(2) **शान्ति और व्यवस्था**—स्वयंसेवक दल का गठन करके ग्राम पंचायतें ग्रामीण अंचलों में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(3) **प्रशासनिक शिक्षा**—ग्रामीण विकास की योजना का संचालन स्वयं ग्रामवासियों को करना पड़ता है। इस प्रकार ग्रामीणों को प्रशासन में सहभागिता प्राप्त होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें जनता को प्रशासनिक शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

(4) **शिक्षा का प्रसार**—ग्राम पंचायतें लोगों को व्यावसायिक, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा दूरस्थ शिक्षा भी प्रदान कर सकती हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, प्रौद्योगिकी संस्थान आदि खुलवाने का प्रयास करती हैं।

(5) **आपसी सहयोग**—ग्राम पंचायतें ग्रामीण जनता में आपसी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करके मुकदमेबाजी की संख्या को कम करने में महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं Stop 18 April

73वें संविधान संशोधन से पूर्व एवं पश्चात् पंचायती राज
(Panchayati Raj before and after 73rd Amendment)

73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। अगर हम इस संशोधन से पूर्व एवं संशोधन के पश्चात् भारत में पंचायती राज व्यवस्था की तुलना करें तो इनमें निम्नलिखित अन्तर स्पष्ट होते हैं—

Scanned with CamScanner

19 April (1) PG Sem-II

संशोधन से पूर्व	संशोधन के पश्चात्
1. संशोधन से पूर्व पंचायती राज एक राजनीतिक संस्था न होकर विकास कार्यों को कार्यान्वित करने वाला संगठन मात्र था। इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं थी तथा पंचायती चुनाव व्यक्तिगत आधार पर होते थे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जाता था।	1. इसके विपरीत, संशोधन के पश्चात् अब राजनीतिक दलों को पंचायतों के चुनावों में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। इसलिए पंचायती राज हेतु चुनाव दलीय आधार पर होते हैं।
2. संशोधन से पूर्व पंचायतें विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का ही कार्य करती थीं।	2. संशोधन के पश्चात् पंचायतें निर्णय लेने वाले संगठन बन गई हैं जो गांव पर शासन करती हैं।
3. संशोधन से पूर्व पंचायतों में गांव की स्त्रियों एवं कमजोर वर्गों को सशक्तिकरण (Empowerment) का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता था।	3. संशोधन के पश्चात् स्त्रियों एवं कमजोर वर्गों को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान कर उनकी पंचायती राज-व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो गई है।
4. संशोधन से पूर्व पंचायती राज का स्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार था।	4. संशोधन के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में पंचायती राज का स्वरूप एक-समान (त्रि-स्तरीय) हो गया है।
5. संशोधन से पूर्व प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश पंचायतों से सम्बन्धित अपने अधिनियम परित करता था।	5. संविधान संशोधन के कारण अधिनियम पारित होने के पश्चात् अब प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश को केन्द्रीय अधिनियम को अपनाना अनिवार्य है।
6. संशोधन से पूर्व पंचायतों के चुनाव नियमित समय अवधि पर नहीं होते थे। अनेक राज्यों में तो 10-15 वर्ष तक पंचायतों के लिए चुनाव नहीं होते थे।	6. संशोधन के पश्चात् अब प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंचायतों के चुनाव करवाना सुनिश्चित किया गया है। अगर किन्हीं कारणों से राज्य सरकार किसी पंचायत को भंग कर देती है, तो ऐसी स्थिति में छह महीनों के अन्दर चुनाव होना है।
7. संशोधन से पूर्व पंचायतों के चुनाव हेतु राज्यों में अलग से न तो किसी चुनाव कमीशन की ही व्यवस्था थी और न ही वित्त कमीशन की।	7. संशोधन के पश्चात् पंचायतों के चुनाव हेतु अलग से एक चुनाव कमीशन एवं वित्त कमीशन की व्यवस्था की गई है।

Scanned with CamScanner

8. संशोधन से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती थी।	8. संशोधन के पश्चात् पंचायतों को केन्द्र एवं सम्बन्धित सरकार से पर्याप्त राशि दिया जाना सुनिश्चत किया गया। साथ ही, अब पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय साधनों द्वारा धन एकत्रित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
9. संशोधन से पूर्व न्याय पंचायती राज व्यवस्था का ही एक अंग थी।	9. संशोधन में राज्यों द्वारा न्याय पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।
10. संशोधन से पूर्व पंचायतों को किसी प्रकार के विशिष्ट प्रावधान प्राप्त नहीं थे।	10. संशोधन द्वारा पंचायतों को मद्यनिषेध, भूमि के संरक्षण, जल संसाधनों, गांव के बाजारों एवं विकास के बारे में अनेक विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित कर दिया है तथा इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था बना दिया है। कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर यह अधिनियम ग्रामीण शक्ति संरचना में भी मूलभूत परिवर्तनों को प्रोत्साहन दे रहा है। Stop

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी
(Women Enrolment in Panchayati Raj System)

Short Note

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था के परिणामस्वरूप, इस समय लगभग 10 लाख स्त्रियों त्रि-स्तरीय ढांचे में अध्यक्ष और सदस्य पदों पर कार्यरत हैं। यह एक बड़ी संख्या है और निश्चित ही इससे अभी तक ठहरी ग्रामीण-व्यवस्था में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। महिलाओं का यह राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के विकास के लिए आवश्यक है अपितु यह उनकी सदियों से दबाई गई रचनात्मक क्षमता को भी समाज के सम्मुख उजागर करता है। पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को लेकर पूर्व में काफी सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। जिनका बुनियादी निष्कर्ष यह है कि महिलाओं की राजनीतिक कार्यक्षमता के विषय में जो भ्रांतियां समाज में व्याप्त थीं उन्हें महिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी कार्य कुशलता एवं कार्य शैली के आधार पर दूर कर दिया है। इससे पुरुष वर्ग उनकी महत्ता समझने लगा है और प्रारम्भ में महिलाओं को जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था अब वह कम होने लगा है।

निर्वाचित महिलाएं अन्य महिलाओं तथा किशोरियों के लिए आदर्श बन गई हैं। अब अधिकांश ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्याओं को समुचित निर्वाचित महिला पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं तथा महिला पंचायत अध्यक्ष अपने

Scanned with CamScanner

राजनीतिक अधिकारों तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। ये पंचायत अध्यक्ष ग्रामीण समस्याओं पर तो नियन्त्रण कर ही रही हैं, इसके साथ ही इन्होंने कई क्षेत्रों में सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी अपना अभियान चला रखा है।

पंचायतों के माध्यम से अनेक महिलाएं, जैसे—फातिमा बी (आन्ध्र प्रदेश), सविता बेन (गुजरात), सुधा पटेल (गुजरात), गुड़या बाई (मध्य प्रदेश), उर्मिला यादव (रिवाड़ी, हरियाणा) आदि ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने पंचायतों का नेतृत्व करने के पश्चात् ग्रामीण विकास के अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उ.प्र. में सम्पन्न हुए पंचायत चुनावों में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु 50 % से अधिक महिलाओं ने चुनाव में विजयी घोषित होकर अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया था जिसका ग्रामीण विकास, विशेषकर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है।

महिलाओं ने अवसर प्राप्त करते ही घर की चारदिवारी से बाहर निकलकर अपने आप को कुशल प्रशासक के रूप में नेतृत्व करने की अपनी क्षमता को सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है। इसका सशक्त उदाहरण राजस्थान का बाड़मेर जिला है। 73वें संविधान संशोधन से पूर्व बाड़मेर जिले में जितनी बार भी पंचायत चुनाव हुए, कोई भी महिला सरपंच के पद पर निर्वाचित नहीं हुई थी। परन्तु **वर्ष 1995 में नए अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात इस जिले में चुनाव कराये गए जिसमें इस जिले की 380 ग्राम प्रचायतों में से 129 (33.99%) महिला सरपंच चुनी गईं। इसी प्रकार इन 380 ग्राम पंचायतों में 4,170 वार्ड पंच चुने गए जिनमें लगभग 1,390 महिलाएं थीं।**

इसी प्रकार भारत में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायतों के चुनाव कराएं **मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 1,44,735 प्रतिनिधि चुने गए, जिसमें से 48,993 स्त्रियां थीं। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों के 82,504 प्रतिनिधि चुने गए जिनमें से 26,735 स्त्रियां थीं इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग से 61,993 स्त्रियां निर्वाचित होकर आईं। यह स्त्रियों की मुक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, जो कि समग्र विकास की एक अनिवार्य शर्त है।** 73वां संशोधन पास हुए अभी तीन दशक ही पूर्ण हुए हैं किन्तु वर्षों से घर की चारदिवारी के अन्दर बंद महिलाओं ने बाहर समाज में आकर एक कुशल प्रशासक के रूप में जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है, वह निःसंदेह ग्रामीण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम है। Stop Last

पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण

(Empowerment of Panchayati Raj System)

Scanned with CamScanner